

**कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़**

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल— rcs.coop@nic.in

क्रमांक / निर्वाचन / 2015 / ५०५
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक : २५/०१/२०१५

1. प्रबंध संचालक / प्राधिकृत अधिकारी,
..... (समस्त शीर्ष संस्थाएं),
रायपुर (छ०ग०)
2. प्राधिकृत अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
..... (छ०ग०)

—००—

छ०ग० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50 (ख) के अनुरूप राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन किया जा चुका है। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत समस्त सहकारी सोसायटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगी।

सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50 (ख) के ४ (ग) का प्रावधान निम्नानुसार है:-

"प्रत्येक सहकारी सोसायटी की बहिर्गमी बोर्ड, विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व छ: मास के भीतर, उस बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए, आयोग को लिखित में, ऐसी रीति में अनुरोध करेगी जैसा कि विहित किया जाये।"

अतएव जिन सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन ड्यू हो चुके हैं अथवा छ: मास के भीतर निर्वाचन ड्यू होने वाले हैं, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को संलग्न प्रारूप एवं जानकारी के साथ लिखित में आवेदन प्रस्तुत करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार आवेदन का प्रारूप।


33-10-15
(अविनाश चम्पावत)

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
नया रायपुर, दिनांक : २५/०१/२०१५

पृ० क्रमांक / निर्वाचन / 2015 / ५०५
प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर।
2. विशेष सचिव, छ०ग० शासन, सहकारिता विभाग 'मंत्रालय' महानदी भवन, नया रायपुर।
3. संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, (समस्त), संभाग/जिला की ओर सूचनार्थ। उक्त निर्देशों को समस्त सहकारी संस्थाओं को अवगत कराते हुए पालन सुनिश्चित करावें।


पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय सहकारी सोसाइटी मर्या.,

क्रमांक / निर्वाचन / दिनांक

प्रति,

सचिव,

छ0ग0 राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग

विषय – सोसाइटी के संचालक मण्डल / प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन हेतु आवेदन।

—०—

उक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि सहकारी सोसाइटी मर्या., के बोर्ड के गत निर्वाचन दिनांक को संपन्न हुए थे। सोसाइटी के बोर्ड का कार्यकाल दिनांक को समाप्त हो रहा है। सोसाइटी के बोर्ड की बैठक दिनांक में निर्वाचन हेतु प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया है, सोसाइटी के बोर्ड के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव ठहराव की सत्यप्रतिलिपि, उपविधि की छायाप्रति तथा निम्नलिखित ब्यौरों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :–

- (क) वह तारीख जिसको अंतिम निर्वाचन हुए थे –
- (ख) वह तारीख जिसको विद्यमान बोर्ड या, यथास्थिति, उसके सदस्यों की अवधि समाप्त हो रही है / हो चुकी है –
- (ग) धारा 53 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो –
- (घ) नव-रजिस्ट्रीकृत सोसायटी की दशा में, सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख –
- (ड.) निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या –
 - (1) बोर्ड के सदस्यों की संख्या, जिनका निर्वाचन होता है।
 - (2) प्रतिनिधियों की संख्या, जिनका निर्वाचन होता है।
 - (3) प्रत्यायुक्तों की संख्या, जिनका निर्वाचन होता है।
- (च) क्या उपविधियां संचालक मण्डल के निर्वाचनों के पूर्व प्रतिनिधि साधारण निकाय के गठन या वाड़ों के सूजन का उपबन्ध करती है और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही, यदि कोई हो –
- (छ) अन्य सूचना जो निर्वाचन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है –
- (ज) प्रक्रिया शुल्क का विवरण –

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अध्यक्ष

सहकारी सोसाइटी मर्या.,

प्ररूप

प्ररूप छ - 1
(नियम 49- ग (1) देखिये)

सदस्यों की सूची

नाम—सहकारी सोसाइटी

पंजीयन क्रमांक

विकास खण्ड

जिला

अनु क्रमांक	सदस्यता पंजीय का अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम	निवासी (प्राप्त का नाम)	अजा / अ.ज.जा. / अ.पि.य. / सामान्य वर्ग	महिला / पुरुष	उधारग्रहीता यदि कोई हो	X- व्यातिक्रमी	Z- निषिद्ध	उपर्युक्त अनुसार पात्रता / अपात्रता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

नोट - जिन सोसाइटीओं के चुनाव प्रतिनिधियों के आधार पर होते हैं वहां सदस्यता सूची का प्ररूप निम्नानुसार रहेगा।

क्र	सदस्य पंजीय का अनुक्रमांक	सदस्य सोसाइटी का नाम	प्रतिनिधियों का नाम	निवासी (प्राप्त का नाम)	अजा / अ.ज.जा. / अ.पि.य. / सामान्य वर्ग	महिला / पुरुष	सदस्य सोसाइटी व्यातिक्रमी है या नहीं	X- व्यातिक्रमी	Z- निषिद्ध	उपर्युक्त अनुसार पात्रता / अपात्रता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

सदस्यों का वर्गीकरण विवरण निम्न प्ररूप में अंकित किया जावे :-

कुल सदस्य संख्या			अनारक्षित / सामान्य		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
पुरुष	महिला	योग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत

प्रमाण पत्र

(सोसाइटी प्रबंधक / अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से)

प्रमाणित किया जाता है कि सदस्यता सूची में दी गयी जानकारी सोसाइटी के अभिलेख के अनुसार सही एवं प्रमाणित है। सदस्यता सूची पर आपत्तियों के सुनवाई के समय आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु बाध्य रहूंगा।

अध्यक्ष / प्रबंधक / मु.का.अ.